अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 845(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर (मासिक आय खाता) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर (मासिक आय खाता) दूसरा संशोधन नियम, 2011 है।

   (2) ये दिसंबर, 2011 की पहली तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. डाकघर (मासिक आय खाता) नियम, 1987 में-

   (क) नियम 8 के उप-नियम (1) में, खंड (ज) के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा; अर्थात:-

   "(i) दिसंबर, 2011 की पहली तारीख को अथवा उसके बाद जमा की जाने वाली राशियों के संबंध. में 8.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष;"

   (ख) नियम 9 के उप-नियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

   "परंतु यह और भी कि दिसंबर, 2011 के पहले दिन अथवा उसके पश्चात खाता खोलने के समय जमा की गयी राशियां खाताधारक को खाता खोलने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर अथवा उसके पश्चात उस डाकघर, जिसमें खाता है, द्वारा संदाय की जाएंगी;"

   "परंतु यह और भी कि 1 दिसंबर, 2011 को अथवा उसके पश्चात खोले गए खातों में जमा की गई राशियों पर कोई बोनस नहीं दिया जाएगा।

[फा. सं. 1/11/2011-एन.एस.-II]

एम. ए. खान, अवर सचिव

टिप्पण:- मुख्य नियम सा.का.नि. 701 (अ) तारीख 10 अगस्त, 1987 के तहत प्रकाशित किए गए थे, और तत्पश्चात इनमें सा.का.नि. 805 (अ) तारीख 21 जुलाई, 1988, सा.का.नि. 46 (अ) तारीख 20 जनवरी, 1989, सा.का.नि. 581 (अ) तारीख 12 सितंबर, 1991, सा.का.नि. सं. 430 (अ) तारीख 24 अप्रैल, 1992, सा.का.नि. 390 (अ) तारीख 29 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 585 (अ) तारीख 2 सितंबर,1993, सा.का.नि. 5 (अ) तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 45 (अ) तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 80 (अ) तारीख 1 फरवरी, 2000, सा.का.नि. 613 (अ) तारीख 18 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 153 (अ) तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 161 (अ) तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 350 (अ) तारीख 10 मई, 2002, सा.का.नि. 176 (अ) तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 758 (अ) तारीख 23 सितंबर, 2003, सा.का.नि. 288 (अ) तारीख 13 मई, 2005, सा.का.नि. 59 (अ) तारीख 10 फरवरी, 2006, सा.का.नि. 521 (अ) तारीख 1 अगस्त, 2007, सा.का.नि. 763 (अ) तारीख 8 दिसंबर, 2007, सा.का.नि. 741 तारीख 4 अक्तूबर, 2011 के तहत संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2011

G.S.R. 845(E).— In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office (Monthly Income Account) Rules, 1987, namely:-

1. (1) These rules may be called the Post Office (Monthly Income Account) Second Amendment Rules, 2011.
   (2) They shall come into force on the 1st day of December 2011.

2. In the Post Office (Monthly Income Account) Rules, 1987,—

   (a) in rule 8, in sub-rule (1), after clause (h) the following clause shall be inserted, namely: –

   "(i) 8.2 per cent. per annum in respect of deposits made on or after the first day of December, 2011.";

   (b) in rule 9, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

   "Provided also that in respect of deposits made, at the time of opening of account on or after the first day of December, 2011, shall be paid by the post office at which the account stands to depositor on or after expiry of five years from the date of the opening of the account.:

   Provided also that no bonus shall be paid on the deposits made in the accounts opened on or after the 1st day of December, 2011."

[F. No. 1/11/2011-NS-II]
M. A. KHAN, Under Secy.

Note : The Principal rules were published vide G. S. R. 701(E), dated the 10th August, 1987, and subsequently amended vide: - G.S.R. 805(E), dated the 21st July, 1988, G.S.R. 46(E), dated the 20th January, 1989, G.S.R. 581(E), dated the 12th September, 1991, G.S.R. 430(E), dated the 24th April, 1992, G.S.R. 390(E), dated the 29th April, 1993, G.S.R. 585(E), dated the 2nd September, 1993, G.S.R. 5(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 45(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 80(E), dated the 1st February, 2000, G.S.R. 613(E), dated the 18th July, 2000, G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 161(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 350(E), dated the 10th May, 2002, G.S.R. 176(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 758(E), dated the 23rd September, 2003, G.S.R. 288(E) dated the 13th May, 2005, G.S.R. 59(E) dated the 10th February, 2006, G.S.R. 521(E) dated the 1st August, 2007, G.S.R. 763(E) dated the 8th December, 2007 and G.S.R. 741(E) dated the 4th October, 2011.